(77)

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क. /I/ 2016 निगरानी

बक्शी सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जाट सिख
निवासी ग्राम मेवाडा तहसील व जिला
श्योपुर म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

मध्य–प्रदेश शासन

.....अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्र.कं. 88/10–11/स्व.निगरानी की आदेश पत्रिका में पारित आदेश दिनांक 26.02.16 के विरूद्व।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य

यह कि ग्राम चकबमूल्या स्थित भूमि सर्वे नम्बर 30/4मि. रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जो राजस्व अभिलेख में कुलवेन्द्र सिंह पुत्र हरिपाल सिंह जाति जाट सिख निवासी ग्राम चकबमूल्या के नाम पर स्थित थी, किन्तु मौके पर कब्जा आवेदक का है और अपने उसी कब्जे के आधार पर आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष कब्जे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायालयीन प्र.कं. 44/95–96/अ–46 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 04.06.96 को आवेदक के हित में विधिवत आदेश पारित किया गया और उसी समय से आवेदक निरंतर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि इसी दौरान माननीय आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना द्वारा अपने न्यायालयीन प्र.कं. 50/06–07/निगरानी में ताराचन्द विरूद्व कन्हैयालाल में दिनांक 19.10.10 को एक विवादित आदेश पारित किया गया कि म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 169 एवं 190 में नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों ने जो आदेश पारित किये उन प्रकरण को रिविजन में लेकर कार्यवाही की जावे, उसी हिटलरशाली फरमान के तहत उक्त कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जो अवैध होकर निरस्त होने योग्य है।

यह कि माननीय अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदक द्वारा

क्रमशः.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1697–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीर सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 88/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.2.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	